

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज0)
बईजलास डॉ. भँवर लाल,आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 27/2018

प्रार्थी

श्री जीवन कुमार पुत्र श्री शिवकुमार जाति अग्रवाल निवासी मकान सं. 161 सेक्टर 4-सी, शास्त्री नगर, मण्डी गोविन्दगढ जिला फतेहगढ (पंजाब) मालिक M/s NAU RATTAN PROCESSOR आबूरोड जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी

1. देना बैंक (वर्तमान बैंक ऑफ बडौदा) जोनल ऑफिस, संसद मार्ग, 4 फ्लोर नई दिल्ली।
2. वी.के. श्रीवास्तव अधिकृत अधिकारी देना बैंक (वर्तमान बैंक ऑफ बडौदा) Asset Recovery Branch, 205 2nd Floor, Akash Deep Building, Barakhamba Road, New Delhi.

रिव्यू प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत मूल प्रार्थना पत्र संख्या 26/2017 धारा 14 दी सिक्चुराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्चुरिटी इन्डेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या एक व दो अनुपस्थित।



आदेश

दिनांक : 16.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी देना बैंक(वर्तमान बैंक ऑफ बडौदा) शाखा दिल्ली ने प्रार्थी शिवज्योति, फर्नन्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 84-85, पोकेट 17, सेक्टर 24 रोहिनी 85, नई दिल्ली व अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्चुराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्चुरिटी इन्डेस्ट एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र 26/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 11.07.2017 को फैसल किया जाकर प्रार्थी शिवज्योति, फर्नन्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 84-85, पोकेट 17, सेक्टर 24 रोहिनी 85, नई दिल्ली व अन्य द्वारा अप्रार्थी बैंक के पक्ष में प्रतिभूति रूप में रखी गयी, जायदाद का कब्जा सम्बन्धित पुलिस थाना आबूरोड के जरिये अप्रार्थी बैंक को दिये जाने का आदेश पारित किया गया था।

इस निर्णय के पश्चात श्री जीवन कुमार पुत्र श्री शिवकुमार जाति अग्रवाल निवासी मकान सं. 161 सेक्टर 4-सी, शास्त्री नगर, मण्डी गोविन्दगढ जिला फतेहगढ (पंजाब) मालिक M/s NAU RATTAN PROCESSOR आबूरोड जिला सिरौही ने प्रकरण संख्या 26/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री जीवन कुमार बनाम अप्रार्थी देना बैंक(वर्तमान बैंक ऑफ बडौदा) निवासान का अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं ओदश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

B/L
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

प्रस्तुत किया है जो प्रकरण संख्या 27/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया, जिस पर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडलिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 26/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के संबंध में ऐतराज व्यक्त किये कि उक्त निर्णय पारित करने में प्रार्थी को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय पारित किया गया था। यह है कि प्रार्थी द्वारा शिवज्योती फर्नस प्रा.लि. द्वारा लिए गए ऋण की गारन्टी दी थी, ऋण अदायदी का प्रथम दायित्व ऋणी शिवज्योती फर्नस प्रा.लि. एवं उसके डायरेक्टर का है, जिनकी सम्पत्ति भी अप्रार्थी बैंक के हक में रहन है, उसे विक्रय कर अप्रार्थी वसूल कर सकती है। मूल ऋणी तथा उसके डायरेक्टर की सम्पत्ति से वसूली नहीं होने की दशा में ही प्रार्थीगण का दायित्व बनता था, इस कारण प्रार्थीगण की सम्पत्ति का कब्जा कानूनन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। यह है कि प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति अप्रार्थी बैंक में रहन नहीं होने से उक्त सम्पत्ति का कब्जा अप्रार्थी बैंक को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रकरण संख्या 26/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 420, 193 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में मुकदमा दर्ज करवाए जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी बैंक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में इनको जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है। अप्रार्थी बैंक की ओर बहस हेतु नियत तिथि पर भी किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांती अध्ययन एवं अवलोकन किया एवं मनन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि SARFAESI Act 2002 के प्रावधानों के अनुसार एवं न्यायालय में उपलब्ध नजीरो से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 नियम 13 व आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत (2003) 9 ILD 429 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 13(2) SARFAESI Act 2002 का नोटिस प्रार्थीगण को तामिल हो चुका है, जिसे 60 दिन से अधिक का समय हो चुका है। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कोई नोटिस दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत 2008(I) BC 355 एवं 2008 (I) BC 440 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 13(2) SARFAESI Act 2002 का नोटिस ऋणी को प्राप्त हो जाता है तथा नोटिस में दर्शायी निर्धारित अवधि के बाद भी ऋणी बैंक अथवा फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूट की राशि अदा नहीं करता है तो धारा 14 SARFAESI Act 2002 के अन्तर्गत रहन रखी गई सम्पत्ति को बैंक को दिलाये जाने हेतु कार्यवाही के लिये प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इस प्रकार की

Bello
जिला सजिस्ट्र, सिरौही

कार्यवाही में किसी भी तरह का नोटिस ऋणी को दिया जाना आवश्यक नहीं है। इस तर्क के समर्थन में विधिक दृष्टांत पार्ट III (2005) बी.सी. 44 (DRAT/DT) एवं पार्ट IV(2005) BC 117 (DRAT/DT) तथा writ Petition 2763/2006 Trade well/India Bank, 2008 (I) BC 668, 2007(I) BC 44 DRAT में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस न्यायालय में उपलब्ध विधिक दृष्टांत (2003) 9 ILD 429(AP), 2007 DNJ (SC) 196 , MANU/MH/0195/2007 , & 2008 (1)ISJ(Banking) 127 अनुसार भी रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को सरे इंजलास सुनाया गया।



Bullu
(डॉ. भेंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही